



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08102025-266776
CG-DL-E-08102025-266776

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4455]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 8, 2025/आश्विन 16, 1947

No. 4455]

NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 8, 2025/ASVINA 16, 1947

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 अक्तूबर, 2025

का.आ. 4584(अ).— केंद्र सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43), (जिसे इसके बाद “आयकर अधिनियम” कहा जाएगा) की धारा 10 के खंड (46क) के उपखंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा “झांसी विकास प्राधिकरण (पैन: AAALJ0068K) (जिसे आगे “निर्धारिती” कहा जाएगा) जोकि उत्तर प्रदेश शहरी नियोजन और विकास अधिनियम, 1973 (राष्ट्रपति का अधिनियम संख्या 11, 1973) के तहत गठित एक प्राधिकरण है, को उक्त खंड के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित करती है।

2. यह अधिसूचना कर निर्धारण वर्ष 2025-2026 से प्रभावी होगी, बशर्ते कि निर्धारिती आयकर अधिनियम की धारा 10 के खंड (46क) के उपखंड (क) में विनिर्दिष्ट एक या अधिक प्रयोजनों के साथ उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 (राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 11, 1973) के अधीन गठित प्राधिकरण बना रहेगा।

[अधिसूचना सं. 150 /2025/फा. सं. 300195/37/2024-आईटीए-1]

मीनाक्षी सिंह, उप सचिव

विवरणात्मक ज्ञापन

यह प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव देने से किसी भी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th October, 2025

S.O. 4584(E).— In exercise of the powers conferred by sub-clause (b) of clause (46A) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as “the Income-tax Act”), the Central Government hereby notifies “Jhansi Development Authority (PAN:AAALJ0068K) (hereinafter referred to as “the assessee”), an authority constituted under the Uttar Pradesh Urban Planning and Development Act, 1973 (President’s Act No.11 of 1973), for the purposes of the said clause.

2. This notification shall be effective from the assessment year 2025-2026, subject to the condition that the assessee continues to be an authority constituted under the Uttar Pradesh Urban Planning and Development Act, 1973 (President’s Act No.11 of 1973), with one or more of the purposes specified in sub-clause (a) of clause (46A) of section 10 of the Income-tax Act.

[Notification No. 150 /2025/F. No. 300195/37/2024-ITA-1]

MEENAKSHI SINGH, Dy. Secy.

Explanatory Memorandum

It is certified that no person is being adversely affected by giving retrospective effect to this notification.